प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 27 मार्च, 2018

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को गर्मी से राहत देने हेतु सीलिंग फैन की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11331/आधु0-1/एलईडी/2017, दिनांक 22 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को गर्मी से राहत देने हेतु 32 कारागारों में सीलिंग फैन लगाये जाने के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से 1093 पंखे निम्न विवरणानुसार क्रय किये जाने हेतु रू0 21,70,000/- (रूपया इक्कीस लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0	कारागारों का नाम	पंखों की संख्या	क्र0	कारागारों का नाम	पंखों की संख्या
1	केन्द्रीय कारागार नैनी	40	17	जिला कारागार प्रतापगढ़	35
2	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	40	18	जिला कारागार बॉदा	35
3	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़	40	19	जिला कारागार गोरखपुर	35
4	केन्द्रीय कारागार बरेली	40	20	जिला कारागार महराजगंज	35
5	केन्द्रीय कारागार आगरा	40	21	जिला कारागार देवरिया	35
6	आदर्श कारागार लखनऊ	35	22	जिला कारागार बस्ती	35
7	जिला कारागार फिरोजाबाद	35	23	जिला कारागार उरई	30
8	जिला कारागार अलीगढ़	35	24	जिला कारागार बदायूँ	30
9	जिला कारागार झांसी	35	25	जिला कारागार शाहजहॉपुर	30
10	जिला कारागार ललितपुर	35	26	जिला कारागार पीलीभीत	30
11	जिला कारागार सीतापुर	35	27	जिला कारागार मुरादाबाद	30
12	जिला कारागार खीरी	35	28	जिला कारागार रामपुर	30
13	जिला कारागार कानपुर	35	29	जिला कारागार बिजनौर	30
14	जिला कारागार कानपुर देहात	35	30	जिला कारागार रायबरेली	30
15	जिला कारागार फतेहगढ़	35	31	जिला कारागार उन्नाव	30
16	जिला कारागार फिरोजाबाद	35	32	नारी बंदी निकेतन लखनऊ	28
				योग-	1093

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) सीलिंग फैन का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचरिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार जैम पौर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्त-पुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(3) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये सीलिंग फैन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(4) स्वीकृति उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) सीलिंग फैन का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार को होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(8) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर व्यय किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-41/2018/389(1)/22-4-2018-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

भवदीय,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in